

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 10/2018

1-मानाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी हिरावती तहसील लाडनूं जिला
नागौर राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

1-पटवारी हल्का ओडिंट, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज०।

2.-नायब तहसीलदार निम्बी जौधा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज०।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपरिथत अधिवक्ता-

1-श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22.02.2018 द्वारा नायब तहसीलदार निम्बी
जौधा लाडनूं प्रकरण संख्या 03/18 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
बअनुवान सरकार विरुद्ध मानाराम अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक:29.01.21

{1} -मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ओडिंट ने अप्रार्थी के विरुद्ध नायब तहसीलदार निम्बी जौधा को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम हीरावती के खसरा नम्बर 97 रकबा 8विस्वा किस्म गै०मु०रास्ता पर सुखे पत्थरो की दिवार का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जो कि सरकारी भूमि है। पटवारी हल्का ओडिंट व भू०अ०नि० की जांच रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार निम्बी जौधा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 9.01.2018 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल०आर.एक्ट 1956 के तहत तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामिल अप्रार्थी अधिवक्ता व स्वयं उपरिथत हुवे जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की



(Handwritten signature)

ओर से अधिवक्ता श्री छोगा राम बुरडक ने अपना वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.02.2018 को निर्णय कर अप्रार्थी को खसरा नम्बर 97 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै० मु० रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 30 का 50 गुणा रूपये 6/- अक्षरे छः रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया गया।


उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 07.03.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार निम्बी जौधा के प्रकरण संख्या 3/18 सरकार बनाम मानाराम जाति जाट के फर्द अहकाम दिनांक 09.01.2018 से 22.02.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय दिनांक 22.02.2018 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति व तथा सम्पूर्ण नाप चौक सहीत मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र की सत्यापित फोटोप्रति पेश की है।

[2] -वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

[2](1) -यह है कि अपीलाधीन आदेश उपलब्ध रिकार्ड साक्ष्य सबूतों व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी कर पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

2 -यह है कि अदालत मातहत आदेश जैर अपील अनुचित विधि विरुद्ध बिना मौका देख, बिना पैमाईश किये, बिना पुराने रिकोर्ड का अवलोकन किये तथा अनुचित विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है, जो निरस्त/ अपास्त परिवर्तन योग्य है। अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य है।

[2](3) - यह है कि अदालत मातहत द्वारा मौका देखे बिना व खसरा नम्बर 97 की पैमाईश किये बिना, पटवारी हल्का व आर.आई.हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करने में त्रुटि की है।



(Handwritten signature)

{2}(4) - यह है कि नायब तहसीलदार निम्बी जौधा द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा बिना साक्ष्य बिना किसी पटवारी के साक्ष्य बिना किसी दस्तावेजी सबूत के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(5) - यह है कि राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते की चौड़ाई का भी पटवारी रिपोर्ट में कही पर हवाला नहीं है न ही लम्बाई का कोई वर्णन किया हुआ है इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार निम्बी जौधा द्वारा इस तरह का निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(6) - यह है कि अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट को जवाब का भी अवसर नहीं दिया एवं उक्त आदेश पारित कर दिया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(7) - यह है कि रास्ते की भूमि 01 बीघा है परन्तु उक्त रिपोर्ट में रास्ते की चौड़ाई व लम्बाई का कोई हवाला नहीं दिया गया है और यह भी अंकित नहीं किया है कि खसरा नम्बर 97 के किसी दिशा में अतिक्रमण पाया गया है इस कारण उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(8) यह है कि पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कही पर भी अंकित नहीं किया है कि 8 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किस प्रकार से है फिर भी अधीनस्थ अदालत ने बेदखली का आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(9) यह है कि अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है फिर भी बेदखली के आदेश कर 50 गुना जुर्माना आदेश पारित किया है जो अपास्त किया जाने योग्य है।

{3} - बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ओडिट की रिपोर्ट व भ0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ग्राम हीरावती खसरा नम्बर 97 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता पर सुखे पत्थरो की दीवार का निर्माण करने से अप्रार्थीगण के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली तथा लगान दर से 50 गुणा का 6/- की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के विरुद्ध जो नोटिस जारी किया वो विधिवतरूप तामिल हुवे है, नोटिस पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जो अधीनस्थ




Handwritten signature


न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थिति होकर दिनांक : 22.2.18 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देकर निर्णय किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै०म० रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

∴ आ दे श ∴


अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत रखा जाता है।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडबीखव(नागौर)

निर्णय आज दिनांक: 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडबीखव(नागौर)